The question is:

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the Union territory of Manipur to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

DEMAND Nos. 1, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 34 AND 41.".

The motion was adopted.

MANIPUR APPROPRIATION BILL*, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Sir, I move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Manipur for the services of the financial year 1969-70.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Manipur for the services of the financial year 1969-70.".

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI: Sir, I introduce† the Bill.

Sir, I move†

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Manipur for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration.".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Manipur for the services of the financial year 1969-70, be taken into consideration.".

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clauses 2, 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.".

The motion was adopted.

Clauses 2, 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P.C. SETHI: Sir, I move:

"That the Bill be passed.".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed.".

The motion was adopted.

17.52 hrs.

DEMANDS† FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (BIHAR), 1969-70

DEMAND No. 2—LAND REVENUE

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,46,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Land Revenue.".

DEMAND No. 3—STATE EXCISE DUTIES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 100 be granted to

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 20-12-69.

†Introduced/moved with the recommendations of the President.

[Mr. Deputy-Speaker]

the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of State Excise Duties".

DEMAND NO. 4—TAXES ON VEHICLES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Taxes on Vehicles."

DEMAND NO. 6—REGISTRATION FEES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,500 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Registration Fees."

DEMAND NO. 9—STATE LEGISLATURES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 19,10,200 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of State Legislature."

DEMAND NO. 10—GENERAL ADMINISTRATION

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,80,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of General Administration".

DEMAND NO. 11—ADMINISTRATION OF JUSTICE

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,50,100 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Administration of Justice".

DEMAND NO. 12—JAILS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 43,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Jails."

DEMAND NO. 13—POLICE

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 11,04,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Police."

DEMAND NO. 15—SCIENTIFIC DEPARTMENTS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 100 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Scientific Department."

DEMAND NO. 16—EDUCATION

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,15,93,200 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Education."

DEMAND NO. 17—MEDICAL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,11,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Medical."

DEMAND NO. 18—PUBLIC HEALTH

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplemnetary sum not exceeding Rs. 12,37,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Public Health."

DEMAND NO. 19— AGRICULTURE

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,73,200 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Agriculture.".

DEMAND NO. 20—ANIMAL HUSBANDRY

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,200 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Animal Husbandry."

DEMAND NO. 21—CO-OPERATION

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,27,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Industration."

DEMAND NO. 22—INDUSTRIES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,50,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Industries".

DEMAND NO. 25—MISCELLANEOUS SOCIAL DEVELOPMENTAL ORGANISATIONS (WELFARE OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 700 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Miscellaneous Social Developmental Organisations (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes)."

DEMAND NO. 28—IRRIGATION INCLUDING MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,600 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Irrigation including Multi-purpose River Schemes."

DEMAND NO. 30—PUBLIC WORKS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,10,02,600 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Public Works."

DEMAND NO. 31—PUBLIC WORKS—ESTABLISHMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,41,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Public Works—Establishment.".

DEMAND NO. 32—FAMINE RELIEF

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplemenary sum not exceeding Rs. 53,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Famine Relief."

DEMAND NO. 35—FOREST

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,41,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Forest."

DEMAND NO. 36—MISCELLANEOUS (GRAM PANCHAYAT)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 88,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Miscellaneus (Gram Panchayat)."

DEMAND NO. 37—MISCELLANEOUS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,38,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Miscellaneous."

DEMAND NO. 38—MISCELLANEOUS (PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,19,600 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of Mach, 1970, in respect of Miscellaneous (Public Relations Department)."

DEMAND NO. 39—MISCELLANEOUS (EXPENDITURE ON DISPLACED PERSONS)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,90,500 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Miscellaneous (Expenditure on Displaced persons)."

DEMAND No. 40—MISCELLANEOUS (CIVIL DEFENCE)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 25,500 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Miscellaneous (Civil Defence)."

DEMAND No. 42—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 39,54,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Capital Outlay on Industrial Development."

DEMAND No 43—CAPITAL OUTLAY ON OTHER WORKS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 30,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Capital Outlay on Other Works."

DEMAND No. 46—LOANS AND ADVANCES BY STATE GOVERNMENT

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,15,39,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of Loans and Advances by State Government."

Hon. Members may now move the cut motions, subject to their being otherwise admissible.

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria): I beg to move:

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,000 in respect of Land Revenue be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in checking the bungling in the settlement of Bhoodan land donated by Hathua State in Chupra District (1).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,000 in respect of Land Revenue be reduced by Rs. 100."

[Delay in the distribution of Bhoodan land and the failure of Government in setting up all-party commitees (2).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,000 in respect of Land Revenue be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in occupying the land donated by its owners to Bhoodan and which is still in their possession (3).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,000 in respect of Land Revenue be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in checking the favouritism shown in the

([Shri K. M. Madhukar]

distribution of Bhoodan land and in removing legal hurdles in regard thereto (4).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,000 in respect of Land Revenue be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in checking wrong settlement of Bhoodan land in Madhuban Thana (Bihar) (5).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 1,46,000 in respect of Land Revenue be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in checking favouritism shown in distribution of Bhoodan land among the landless (6).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 7,300 in respect of Taxes on Vehicles be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in repairing the vehicles belonging to the State Transport Corporation (7).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 7,300 in respect of Taxes on Vehicles be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in preventing the grounding of several vehicles by the State Transport Corporation (8).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 7,300 in respect of Taxes on Vehicles be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in asking the State Transport Corporation to provide facilities, good behaviour to passengers (9).]

"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 7,300 in respect of Taxes on Vehicles be reduced by Rs. 100."

[Failure of Government in impressing upon the State Road Transport Corporation to run the buses in time. (10).]

उप.ध्यक्ष महोदय, बिहार की विधान सभा के चालू न रहने से आज आपको बिहार राज्य का बजट लोक सभा में पेश करना पड़ा है । बिहार की आज बड़ी अजीब परिस्थिति है—प्राकृतिक सम्पदा में यह राज्य सबसे आगे होने पर भी, जहां कोसी और गंगा जैसी नदियां हैं, जो लगातार साल भर पानी देती हैं, जहां की जमीन इतनी उपजाऊ है, खास कर उत्तर बिहार की जमीन इतनी ऊपजाऊ है कि बिना खाद् के भी वहां तरह तरह की फसलें होती हैं, जहां इतनी खानें हैं कि अगर उन का इस्तेमाल किया जाय तो बिहार समृद्धि में सबसे आगे आ सकता है, लेकिन फिर भी वह आज पिछड़ा हुआ है । यह बड़े कलंक की बात है । पिछले 22 वर्षों में जो कांग्रेसी हकूमत वहां रही, उसने ऐसे काम किये, जिनसे बिहार की जनता को उस कलंक को धोने में समय लगेगा, क्योंकि बिहार की उर्वरा भूमि, सोना उगलने वाली भूमि का वह इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है । उत्तरी बिहार में जो चम्पारन का इलाका है, गंगा का इलाका है, सहरसा और पूर्णिया के इलाके हैं, इन इलाकों में पूरे हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले सबसे न्यूनतम आय है । यह सब इसलिये हुआ कि बिहार के लिये जो निश्चित नीति निर्धारित करनी चाहिये थी, जो निश्चित नीति अख्तियार करनी चाहिये थी, वह नहीं की गई । आप जानते हैं—आयंगर आयोग और मधुकर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी हैं उनमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वहां के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने जाति-भाइयों के लाभ के लिये, अपने रिश्तेदारों को मदद पहुंचाने के लिये काम किया लेकिन जनता को लाभ पहुंचाने के सिलसिले में कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि बिहार आज बहुत ही बुरी अवस्था में है, एक तरह से बहुत ही पिछड़ी स्थिति में पड़ गया है ।

17.58 hrs.

[SHRI M. B. RANA in the Chair]

बिहार की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है जो कि 22 वर्षों तक पूंजीवादी राह पर चली ।

वहां की सरकार ने बड़े लोगों की मदद करने का रास्ता अख्तियार किया । इसी वजह से बिहार आज इतना पिछड़ा हुआ है । बिहार को आगे बढ़ाने के लिये जो थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए था वह ध्यान इस बजट में भी नहीं दिया गया है । ऐसा लगता है कि बिहार की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है । कुछ दिन पहले बिहार के एम पीज और एम एल एज ने एक मैमोरेंडम दिया था जिसमें उत्तर बिहार की समस्याओं की चर्चा की गई थी । उन समस्याओं को दूर करने के लिए अलग से एक विकास बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये थी लेकिन बदकिस्मती से बिहार की सरकार के एडवाइज़र लोगों ने उसको नामंजूर कर दिया है । जो वहां के बड़े बड़े अफ़सर हैं या सचिवालय में बैठने वाले सेक्रेटरी हैं वे तो आकाश में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनका सारा दृष्टिकोण जनता विरोधी है । वे जनता की समस्याओं की तरफ देखते भी नहीं हैं । उसी के परिणामस्वरूप आज बिहार पिछड़ा हुआ है । आज वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल है जिसका साफ तौर पर मतलब यह है कि वहां पर नौकर शाही की हकूमत है । हाल में वहां पर एक घटना हुई, जो एक एम पी कांग्रेस के ही हैं उनके साथ एस पी ने बबाल किया । इस प्रकार की बातों से पता लगता है कि नौकरशाही वहां पर इतना नीचे गिर गई है । वे जनता के प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं करते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं, उनको अपमानजनक बातें कहते हैं । मैं आपको चम्पारन जिले की बात बता रहा हूं । वहां जो डी एस ओ हैं वह लगातार दस वर्षों से एक ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट को रखे हुए हैं । वह ग्रानरेरी मैजिस्ट्रेट और एस डी ओ घूसखोरी में सम्मिलित हैं । वहां पर प्रदर्शन भी हुआ और तमाम लोगों ने यह मांग की थी कि वह आनरेरी मजिस्ट्रेट जो कि दस वर्षों से चला आ रहा है वह अपने पद का फायदा उठाकर घूसखोरी को बढ़ा रहा है । बिहार में घूसखोरी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि नीचे के स्तर पर भी जो ब्लाक्स में ग्रामसेवक होते हैं, वी एल डब्लू, वह आम किसानों और मजदूरों से घूस लेकर तरह तरह से उनको सताते हैं । इस प्रकार की अवस्था आज बिहार के प्रशासन की हो गई है ।

18·00

जो सप्लीमेंट्री डिमान्डस् रखी गई हैं उनमें एक आइटम बाढ़ के सम्बन्ध में भी है । मैंने जैसा कि पहले कहा है कि बिहार में बाढ़ एक स्थाई रोग हो गया है । पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और पटना के इलाके में तथा चम्पारन जिले में जो बाढ़ आई, वहां पर जो सहायता दी जानी चाहिए थी, वह सहायता नहीं दी गई । वहां की बाढ़ सहायता समिति में यह सवाल भी उठाया गया । चम्पारन जिले में एक नयी समस्या वाटर-लागिंग की भी पैदा हो गई है—गंडक नहर निकलने से हो गई है । क्योंकि नहर निकलने से वहां पर पानी रुकता है । चम्पारन जिले की विकास कमेटी में यह सवाल उठाया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नही की गई । (**व्यवधान**)

इसी प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था का सवाल है । इस सिलसिले में जहां तक ट्यूबवेल लगाने की बात है, सरकार की ओर से ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है । इसका परिणाम यह होगा कि जहां पर नहरें नहीं जायेंगी वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी ।

न्याय विभाग और प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में भी इसमें मांगें रखी गई हैं । जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, आज चम्पारन, मुज़फ्फरपुर म्युनसिपैलिटीज की हालत बहुत खराब हो गई है । वहां की सड़कों की दशा बहुत ही खराब है । प्येय जल का अभाव है । नगरपालिकाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी और अपनी मांगें रखी थीं लेकिन वहां के एडवाईजर्स ने और गवर्नर साहब ने उनपर कोई ध्यान नही दिया । नीचे के कर्मचारियों की आज वहा बहुत ही बुरी अवस्था है । इसी प्रकार से शिक्षकों ने अपनी मांगें रखी लेकिन उन पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई । पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने भी

हड़ताल की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ।

इसी प्रकार से बिजली का सवाल है । बिजली का हाल यह है कि बिहार में दिन में एक घंटा भी बिजली ठीक से चालू नहीं रहती है । इस समस्या को दूर करने के लिए बताया गया था कि खास तौर पर नार्थ बिहार में थर्मल पावर स्टेशन खोलने जा रहे हैं । हम चाहते हैं कि सरकार उसपर तुरन्त ध्यान दे और नार्थ बिहार में थर्मल पावर स्टेशन खोले--खासकर मुज़फ़्फरपुर मोतिहारी के बीच में । ताकि वहां पर बिजली की सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सके ।

वैसे ही बिहार में प्रशासन को सुधारने का सवाल है । प्रशासन का हाल यह है कि कहीं भी कोई आन्दोलन होता है तो वे कहते हैं कि नक्सलवाड़ी हो रहा है । अगर किसानों का भी कोई आंन्दोलन होता है वह भी उनको नक्सलवाड़ी ही दिखाई देता है । मैं अपने इलाके की बात जानता हूं जहां पर नक्सलवाड़ी का कोई सवाल नहीं था, किसानों का आन्दोलन होता है तो वह उनको नक्सलवाड़ी दिखाई देता है और वह उस आन्दोलन को पूरी तरह से दमन करते हैं ।

आज बिहार में गन्ना उत्पादकों के लिए भयंकर संकट उत्पन्न हो गया है । इस उद्योग पर किसी न किसी प्रकार से 40 लाख लोगों की रोटी चलती है । लेकिन आज चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों पर तरह तरह से अत्याचार कर रहे हैं । छपरा जिले में गन्ना उत्पादकों का आन्दोलन भी चल रहा है जिसके कारण से मिलें बन्द हैं । चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को, साधारण नियमों के अनुसार भी सहूलियत नहीं देते हैं । उनके बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं । 7 रुपए 35 पैसे पर क्वीन्टल गन्ने का जो भाव कम दिया गया है उससे किसानों में बड़ा क्षोभ है । अगर इस प्रकार से गन्ने का भाव गिराया जायगा तो आगे चलकर गन्ना उत्पादन में भारी कमी हो जायगी । इसलिय इस सम्बन्ध में तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।...... **(व्यवधान)**.....तो मैं चाहता हूं कि इन सवालों को हल किया जाए । प्रशासन में सुधार लाया जाए । प्रशासन से अफसरशाही को समाप्त किया जाय । प्रेसीडेन्ट रूल में भी प्रशासन में सधार लाया जा सकता है । आज बिहार के अन्दर प्रेसिडन्ट रूल में जो अफसरशाही है वह जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर रही है । समाजवाद की जब बात की जाती है तो उसके लिए ये बुनियादी सवाल हैं जिनके बिना आप समाजवाद नहीं ला सकते हैं । अफसरसाही पर बिना लगाम लगाए समाजवाद नहीं लाया जा सकता है । आपकी भावनायें और कल्पनायें हो सकती है लेकिन उसके बावजूद बिना इन बातों को किए हुए समाजवाद नहीं लाया जा सकता है । इसलिए मेरा कहना है कि जब तक इन संशोधनों को न लाया जाए तब तक बिहार की समस्यायें हल नहीं की जा सकतीं हैं

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : माननीय सभापति जी, आजकल बिहार में राष्ट्रपति शासन है । राष्ट्रपति शासन जनता का शासन है या आटोक्रैसी रूल है, इसका फर्क बताना होगा क्योंकि जनता में इसके बारे में भ्रम उत्पन्न होता है । राष्ट्रपति शासन पुलिस राज्य की तरह से नहीं होना चाहिए बल्कि जनता की डिमान्ड्स और उनके दुखदर्द को पहुचाने का एक जरिया होना चाहिए । सेकेण्ड सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स पर, अगर आज स्टेट लेजिस्लेचर होता तो मेरा ख्याल है तीन चार रोज़ तक बहस होती । लेकिन राष्ट्रपति शासन में जनहित की भावनाओं और दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाने में दिक्कत होती है, यह बात इसी से प्रतीत होती है कि यहां पर सेकेन्ड सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स के लिए केवल एक घंटे का समय रखा गया है । अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन न होता तो एक घंटा तो वहां पर एक सदस्य को ही मिलता । कहने का तात्पर्य यह है कि इसी से ऐसी भावनायें जागृत होती हैं कि शायद राष्ट्रपति शासन में जनता की आवाज़ सुनने का कोई जरिया नहीं है बल्कि

नौकरशाही जो काम करे उसी की मंजूरी राष्ट्रपति शासन में होती है ।

मैं आपके जरिए मंत्री महोदय और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन है और शायद यह शासन और बढ़े। क्यों बढ़े इसकी जवाबदेही भारत सरकार के ऊपर ही है । आपको जनता की भावनाओं का आदर करके उनके हिमाब से काम करना चाहिये । मैं उदाहरण के लिये एक चीज कहना चाहता हूं । छपरा में हास्पिटल है । उसमें जो सिविल सर्जन का दफ्तर है उसमें एक वर्ष से टेलिफोन नहीं है । सिविल सर्जन के घर में टेलीफोन है लेकिन उनके दफ्तर में जिस से हजारों लोगों को टेलिफोन करके बात करनी होगी और मरीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, टेलिफोन नहीं है । उन्होंने लिखा-पढ़ी करके अपने घर में लगवा लिया होगा । लेकिन अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको अपने घर से कटवा कर दफ्तर में लगवा दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो सके और वह होता है क्योंकि अस्पताल एक यूटिलिटी कंसर्न है और उसमें टेलिफोन नहीं है । अगर वहां पर जनप्रिय सरकार होती, कोई मिनिस्टर होता तो इस काम में देर न लगती ।

मैं आपको बतलाऊं कि जो भी जनहित के कार्य होते हैं उनमें सरकारी नौकरशाही बनने पर न तो उनको कुछ सुनने का समय होता है और न कार्य हो पाता है । अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ऐडवाइजर्स रिजीम होने के बाद बिहार में आठ नये जिलों का निर्माण हुआ है । एक तरफ आप बतलाते हैं कि रुपयों की कमी है, आप कहते हैं कि जो हमारे पास तरक्की के काम हैं, डेवलपमेंट वर्क है वह नहीं हो सकते, रिलीफ का काम रुका हुआ है । पिछली बाढ़ में छपरा सोनपुर रोड खराब हो गई थी, जिस में एक पुल बनने से उस रोड की मार्फत असम से दिल्ली तक लोग आ जा सकते हैं । फ्लड की वजह से वह खराब हो गई । पी डब्ल्यू डी की तरफ से न जाने कितने आइटेम दिये गये हैं जिनमें लाख दो लाख रुपये का खर्च है । लेकिन उसमें भी कम खर्च पर इस सड़क की मुरम्मत हो सकती थी और वह काम करने के लायक हो सकती थी । वह तीस मील की सड़क है जिस पर कहीं कहीं कट-अप हो गये हैं । उस रोड को ठीक करवाने में थोड़ा सा पैसा लगता । पहले जो सफ़र मोटरगाड़ी के द्वारा एक घंटे में हो सकता था अब उसमें दो या ढाई घंटे लगते हैं क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं हुई है । एक तरफ आठ नये जिले बनाने की बात हो रही है, जिसमें लोगों की तरक्की करनी होगी और उनकी तन्ख्वाहें बढ़ानी होंगी तथा खर्च ज्यादा होगा और दूसरी तरफ जो नितांत आवश्यक बात है, जिसके कारण आवागमन रुका हुआ है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इसी तरह से और भी बातें हो रही हैं जिनको नहीं होना चाहिये था । जिलों का निर्माण तो एक पालिसी डिसीजन है , यह आम रोजमर्रा का काम नहीं है । मेरा ख्याल है कि इस काम को रोकना चाहिये और जब पापुलर गवर्नमेंट आये तब जिलों का निर्माण होना चाहिये । कारण यह है कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर जिले होने चाहिये लेकिन वहां नहीं बनाये जा रहे हैं और जहां नहीं होने चाहिये, वहां बनाये जा रहे है । वहां पर अफ़सरों की स्वीट-विल पर जिलों का निर्माण शुरु हुआ है । हो सकता कि कई आवश्यक जगहों पर यह काम हुआ हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हुआ है ।

कुछ कलेक्टर लोगों की पोस्टों को अपग्रेड करके कमिश्नर बनाया गया है । उसमें कुछ लोगों को खुश करने के लिए अफसरशाही अपने पसन्द के अफसरों को अच्छे ओहदे देने के लिये या और किसी कारण से हो, खर्च बढ़ा रही है, लेकिन डेवेलपमेंट का जो काम है उसके लिये न तो उनके पास टाइम है और न उसके बारे में सुनने का अवकाश ।

पंचायतों के चुनाव रुके हुए हैं और पंचायत परिषदों को भी कुछ ही जिलों में बनाया गया है ।

[श्री रामशेखर प्रसाद सिंह]

अधिकांश जिलों में नहीं बनाई गई, सिर्फ दो तीन जिलों में बनाई गई हैं। पंचायत परिषदें बनने के बाद चुनाव हुए। नियम के मुताबिक पंचायत परिषद् के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिये उनसे भी बिहार सरकार उनको वंचित कर रही है। डेवेलपमेंट के काम के बारे में जो उनके आर्डर होते हैं उनके मुताबिक भी कोई काम नहीं होता है। जो सरकारी मुलाजिम उनके अधीन काम करते हैं वह सब कुछ रोके रहते हैं और जो डेवेलपमेंट का काम पंचायत परिषदों के जरिए होना चाहिये, वह नहीं हो पाता है। अगर आपको पंचायतों को और विलेज लीडरशिप को एन्करेज करना है तो जिस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र में पंचायत परिषदें बनी हुई हैं उसके ढंग पर बिहार में भी उनको चलवाने का प्रयास आपको करना चाहिये।

इन मांगों में एजकेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी खर्च की मांग की गई है। बिहार में ऐक्ट बनाकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लैनिंग कमेटियां बनी हुई हैं। उनमें नियम के मुताबिक पांच लेजिस्लेचर्स के सदस्य होते हैं और एक पब्लिक मैन रक्खा जाता है। लेकिन जबसे वहां पर राष्ट्रपति शासन हुआ है तब से जन-प्रतिनिधियों को हटाकर केवल अधिकारियों की ही एजुकेशन प्लैनिंग कमेटी बनाई गई है। इससे नुक्सान यह होता है किसी जगह पर काम ठीक से नहीं हो सकता है। इस कमेटी को यह देखने का अधिकार होता है कि किस जगह किस स्टेज का स्कूल बनना चाहिये और किस किस को किस तरह के ओहदे पर लिया जाये, मगर यह काम नहीं हो पाता है। आज जो एजुकेशन इन्स्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट और ब्लाक लेवल पर होते हैं उनकी रिपोर्ट पर काम होता है जिससे काफी धांधली होती है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह सारी रिपोर्टों को मंगा कर पुराने तरीके की एजुकेशन प्लानिग कमेटीज़ को रेस्टोर करें अगर एम० एल० एज़० को उनका मेम्बर बनाने में कोई दिक्कत है तो उन में एम० पीज० को रक्खें ताकि ज्यादा से ज्यादा जन-प्रतिनिधित्व उनमें हो सके और ज्यादा से ज्यादा जनता के हक की चीजें उनमें मंजूर हो सकें।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि वहां प्रेजिडेंटस् रूल को खत्म करना चाहिये और वहां जनप्रिय सरकार बनानी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता की भावनाओं को आप कुंठित करेंगे।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, मैं बिहार प्रदेश का यह दुर्भाग्य मानता हूं.................

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत): आप बिहार पर क्यों बोल रहे हैं ?

श्री वेणी शंकर शर्मा : क्योंकि मैं वहीं से चुना गया हूं।

मैं इसको बिहार का दुर्भाग्य मानता हूं कि हमें आज यहां बिहार की अनुपूरक अनुदानों की मांगें पास करनी पड़ रही हैं। यह काम तो बिहार की असेम्बली का होना चाहिये था और जिस कार्य में हम यहां एक घंटा लगा रहे हैं उसमें वहां के चुने हुए प्रतिनिधि शायद दो तीन दिन लगाते। तब कहीं हम बिहार की समस्याओं के ऊपर रोशनी डाल सकते थे। इस सदन से हम एक घंटे के अन्दर कितनी रोशनी डाल सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। फिर भी मैं यथा-सम्भव आपके सामने कुछ कहने की कोशिश करूंगा।

आज बिहार में राष्ट्रपति शासन है और हमारे राजनीति के मोहरों की चालों के बीच में बिहार की जनता पिसी जा रही है। वहां ला एण्ड आर्डर की जो व्यवस्था है उसको आप जानते हैं। मैं हत्याओं, चोरियों, और डकैतियों की बात नहीं करता, क्योंकि यह तो बहुत आम बातें हो गई हैं। लेकिन बिहार में आज एक नये ढंग का जो वातावरण पैदा हो गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार बंगाल के बहुत नजदीक है, इसलिए बंगाल में जो हवा बहती है वह बिहार में भी आती है । बंगाल में कम्युनिस्टों का जोर है। वहां पर नक्सलाइट हैं, सी० पी० (एम) हैं । और न जाने क्या–क्या हैं । आज हम देखते हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर भी वहां जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति है उसके विरुद्ध सत्याग्रह और अनसन कर रहे हैं । बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है उसकी नकल पर हमारे यहां गुंडे, बदमाश और शोहदे, जो हर जगह होते हैं, पार्टी विशेष का बिल्ला लगाकर 100-50 की संख्या में इकट्ठे होते हैं और गैर-उजवार जमीनों की बेदखली के नाम पर जो और लोगों की जमीन होती है और जिस पर धान लगा हुआ होता है, उस पर से उसके असली मालिकों को बेदखल करने की कोशिश करते हैं । इस पर वहां मार-पीट हो जाती है खून-खराबी भी हो जाती है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम बिहार में डिमाक्रेसी के बजाय जो माबोक्रेसी का बोलबाला हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें ।

अभी मेरे मित्र श्री रामशखर प्रसाद सिंह ने बिहार में नये जिलों के निर्माण के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट किया था । हमने बिहार के मुतालिक जो पालियामेंन्ट की कन्सल्टेटिव कमेटी बनी है उसमें भी इस पर चर्चा उठाई थी । हमें इसमें कोई तुक समझ में नहीं आता कि जब बिहार में जनतन्त्रीय शासन नहीं है तब कोई ऐसी अहमियत का मसला क्यों उठाया जा रहा है । इन जिलों के निर्माण में कम से कम सात या आठ करोड़ रुपया सालाना खर्च होगा और साथ ही लोगों को भी असन्तोष होगा । मुझे आज ही नौगछिया से एक तार मिला है कि नौगछिया को भागलपुर जिले से काट कर बेंगसराय जिले में मिलाने की कोशिश की जा रही है जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे हैं । वहां के लोगों की बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जो वहां की जनता के प्रतिनिधि ही हल कर सकते हैं । जो गवर्नर साहब के दो ऐडवाइजर हैं वे क्या–क्या करेंगे ? वे जमशेदपुर की हड़ताल का मसला सुलझायेंगे या इन समस्याओं को हल करेंगे ।

जहां पच्चीस तीस मंत्री काम करते थे वहां वही काम दो एडवाइजर कर रहे हैं और वे बेचारे क्या कर सकते हैं । उन पर मेरे मित्र बहुत नाराज होते हैं । लेकिन वे क्या कर सकते हैं। मैं बिहार में राजनीतिज्ञों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर बिहार की जनता की भलाई के लिए जितनी जल्दी हो राष्ट्रपति शासन का अन्त करें और पापुलर सरकार का गठन करें । वह सरकार चाहे इंडिकेट की हो सिंडीकेट की हो या एस० एस० पी० की हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं । यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है । अंग्रेजों का जब राज्य था तब हम कहा करते थे कि हमारा अपना राज्य कहीं अच्छा होगा चाहे उसमें कितनी ही कमियां क्यों न हों । उसी तरह राष्ट्रपति शासन से, चाहे किसी पार्टी का शासन हो, वह कहीं अच्छा होगा ।

बिहार के मंत्रियों के बारे म मुधोलकर कमीशन की रिपो प्रकाशि हुई है । मैं आग्रह करूंगा कि जो निष्कर्ष उनमें निकाले गये हैं, उनके आधार पर जिन लोगों को दोषी पाया गया उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जनता में जो असंतोष है, उसको दूर किया जाए ।

बिहार में पानी की बहुत कमी है । सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिन इलाकों में थोड़ी बहुत नहरों से सिंचाई हो रही है वहां पहले बारह रुपये प्रति एकड़ सिंचाई की दर थी । उसको बढ़ाकर सौलह रुपये कर दिया गया । अब उसको चौबीस रुपये किया जा रहा है । मैंने डा० राव से बात की थी । उन्होंने कहा है कि यह स्टट का मामला है, मैं क्या कर सकता हूं । उन्होंने आन्ध्र का हवाला दिया । वहां पर एड हाक रेट है । एक ओर तो हम मालगुजारी

[श्री वेणी शंकर शर्मा]

जमीन पर से हटाने की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर सिंचाई के रेट बढ़ा रहे रहैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि जो रेट बढ़ाया जा रहा है इसको न बढ़ाया जाए ।

अब मैं शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । प्राइमरी शिक्षकों को आप जानते ही हैं कि उन्हें बहुत कम तन्ख्वाह मिलती है। कम होने के बावजूद भी बिहार में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां कि शिक्षकों को महीने से वेतन नहीं दिया गया है । इस को भी आप देखें और ऐसा प्रयत्न करें कि जिनसे इन गरीबों को अपनी मजदूरी तो समय पर मिलती रहे।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में काफी इलाकों में जंगल है और उन जंगलों में काफी सम्पत्ति भी है । लेकिन एफौरेस्टेशन के नाम पर जंगलों के लगाने के नाम पर उनका सफाया किया जा रहा है। हजारीबाग और मेरे जिले संथाल परगना में बीड़ी के पत्ते के गाछ काफी होते हैं। उनको केन्दु कहते हैं। ये कामधेनु की तरह से हैं। हर साल काफी मूल्य के पत्ते देते हैं इनका भी सफाया किया जा रहा है । इनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि जंगलों की रक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में म्यूनिसिपैलिटियों और नोटिफाइड एरिया कमेटियों में जो बहुत दिनों से बनी हुई हैं, कोई चुनाव नहीं हुआ है । मैं आग्रह करूंगा कि आप गवर्नर महोदय को आदेश दें कि वह जल्दी से जल्दी इनके चुनाव करायें । जिन के चुनाव नहीं हुए हैं उनके शीघ्र चुनाव करायें ।

बिहार में सिल्क और लाख का बहुत पुराना उद्योग है । लेकिन उनके सम्बन्ध में कोई संगठित रूप से काम नहीं किया गया है। भागलपुर और संथाल परगना में सिल्क के कीड़े पाले जाते हैं । कटोरिया की तरफ जंगलों में लोग अपने तौरसे इनको पालते हैं । उनको इस विषय में शिक्षित करने वाला कोई संगठन नहीं है । भागलपुर में एक सिल्क इंस्टीट्यूट है लेकिन वह गांवों में जाकर लोगों को उसके कीड़े किस तरह से पाले जायें, किस तरह से उनका विकास किया जाए, इसकी शिक्षा नहीं देता है । अगर इसकी व्यवस्था की जाए तो बिहार में जो बेरोजगारी है, वह बहुत हद तक दूर हो सकती है ।

लाख का उद्योग भी ह्रास पर है जिसके उद्धार के लिये कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

आज हम यहां बिहार के अनुदानों के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह ऐसी बात है जैसे पिता पुत्र का श्राद्ध कर रहा हो। जो अवस्था उस घर की होती है, वैसी ही अवस्था आज हमारी है । यह काम बिहार की असैम्बली का था । मैं फिर अन्त में कहना चाहता हूं कि बिहार के राजनीतिज्ञ अपने मत-भेदों को ताक पर रख कर जनता के हित में जितनी जल्दी हो सके, राष्ट्रपति शासन का अन्त करें । मैं मंत्रीजी से भी प्रार्थना करता हूं कि वे भी इस काम में सहयोग दें और वहां पापुलर सरकार का गठन करावें ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है । लेकिन जहां तक गरीबी का सम्बन्ध है, वह सबसे ज्यादा गरीब राज्य है । आप वहां प्रति व्यक्ति आय को देखें । वह बहुत ही कम है (इंटरप्शंज)।

हमारे जोशी साहब कई बार हम लोगों से कहा करते थे कि वह चल कर वहां सत्याग्रह करेंगे और जमीन लोगों को दिलाने के लिए काम करेंगे । लेकिन मैं देखता हूं कि आज उनका वह जोश भी ठंडा पड़ता जा रहा है । वहां व्याप्त गरीबी के बारे में एक मैमोरेंडम भी प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को दिया गया था । बिहार राज्य के बहुत अधिक संसद सदस्यों और एम० एल० एज०

ने उस पर हस्ताक्षर किये थे । हमने कहा कि वहां की गरीबी की कुछ दवा होनी चाहिये, उसको दूर करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये । जो वहां बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने उसके जवाब में कहा है कि काफी वहां सड़कें बन रही हैं तथा दूसरे विकास के काम हो रहे हैं । मैं समझता हूं कि गरीबी अगर रिपोर्ट इस तरह से लेकर दूर की जा सकती हो तो वह आज कभी की दूर हो गई होती । रिपोर्टों पर विश्वास नही किया जा सकता है । यह कागजी कार्रवाई होती है । मैं चाहता हूं कि आप उसकी गरीबी दूर करने की कोई दवा करें ।

बिहार पर प्राकृतिक प्रकोप भी बहुत होते हैं । 1967-68 में वहां भयानक अकाल पड़ा था । 1968 में कोसी की बाढ़ आई । इस साल 1969 में गंगा की भयानक बाढ़ आई और ऐसी बाढ़ आई जो शायद 1947-48 में एक बार आई थी । जब यहां सलाहकार समिति की मीटिंग हो रही थी जो बिहार में एडवाइज़र हैं, मेरे द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर उन्होंने जो कुछ कहा तो उसको सुनकर मैं हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया । उन्होंने बड़े ही लाइट वे में और विचित्र ढंग से कहा कि गंगा तो महादेव की जटा से निकलती है, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है । इसको सुनकर मुझे लगा कि भगवान ने उन्हें हृदय दिया ही नही ।

18.27 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

बिहार में गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है । अगर बैंक राष्ट्रीयकरण की बात न होती तो वहां की सिचुएशन, हालात, एक्सप्लोसिव हो गई होती । इस राष्ट्रीयकरण ने लोगों की साइकौलोजी को कुछ चेंज किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 19 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । यह कृषि से सम्बन्धित है । मैंने देखा है कि इंडियन काउंसिल आफ एग्रिकलचरल रिसर्च ने हमारी काफी मदद की है । अगर उसने मदद न की होती तो हमारी हालत और भी खराब हो गई होती मैं फारेन ट्रेड की मिनिस्ट्री से कहूंगा कि वहां पर तम्बाकू की खेती बहुत अच्छी होती है और हो सकती है । आप तम्बाकू और जगहों से मंगाते हैं । उसकी उत्तर बिहार में अच्छी खेती हो सकती है । बहुत सुन्दर सिग्रेट और सिगार बनाने के काम में वह आ सकता है । आप उस ओर ध्यान दें । वही हालत जूट की है । उसकी ओर भी आप ध्यान दें । गंगा के क्षेत्र में जो भूमि है वहां पर तम्बाकू की खेती काफी बढ़ रही है । लेकिन एक्साइज ड्यूटी तथा दूसरे कारणों से किसान घबरा उठे हैं । वे चाहते नही हैं कि वे तम्बाकू की खेती करें । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि अगर कृषि पर आपने विशेष ध्यान न दिया तो जो बीमारी है वह मिटने वाली नही है ।

साथ ही सिंचाई की ओर आप ध्यान दें । मैंने सोचा था कि इन सप्लीमेंटरी डिमांड्ज में सिंचाई के लिए भी कुछ किया जाएगा । इनमें उसकी बात भी होगी । लेकिन मैंने देखा है कि इसमें अफसरों की नियुक्तियों के लिए तो रुपया मांगा गया है लेकिन उस ओर ध्यान नही दिया गया । पेज 13 पर आप 35-35 कार्यपालिका पदाधिकारी रख रहे हैं । अगर जिला परिषदों की स्थापना हो गई होती तो इन पदाधिकारियों की आवश्यकता न पड़ती । लेकिन न कृषि की ओर और न ही सिंचाई की ओर आपका ध्यान जा रहा है । वहां व्याप्त गरीबी भावुकतावश नहीं मैं आपके ध्यान में यह बात ला रहा हूं । आपका कृषि की ओर ध्यान नही है । गंडक की तरफ, कोसी की तरफ आपका ध्यान नहीं है । दरभंगा सबसे बड़ा जिला है । वहां 54 लाख की आबादी है । 1 परसेंट देश की कुल आबादी का वहां रहता है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां बहुत कम सिंचाई का इंतजाम है । बड़े बड़े अफसरों को बहाल करने के बजाय अगर कुछ स्टेट ट्यूबवैल्ज की व्यवस्था की जाती, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन की लाइन्स को ले जाया जाता तो गरीबी को कुछ हद तक कम करने म आपको मदद मिलती । एडवाइजर और

आई ए एस तथा आई सी एस के लोगों को यहां आप भेज देते हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं। वे गरीबों की दशा को जानते नहीं हैं . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: He should conclude now.

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL: This is the second biggest State in the country. You have allotted only one hour. The people's representative must have some say on the demands.

कृषि की उन्नति के सम्बन्ध में, उसके आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में हमने बार बार आपको कहा है लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि उस ओर आपका ध्यान नहीं गया है। बड़े बड़े लोगों को बहाल करने के सिवा और कोई काम नहीं होता है।

मैंने सुना है कि हाल ही में बिहार सरकार का कुछ ख्याल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ गया है। उत्तर बिहार के दरभंगा जिले में पूसा में 1903 में इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया गया था। 1935 में उसे वहां से हटाकर दिल्ली लाया गया। अब सुनते हैं कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक, भौगोलिक और अन्य दृष्टियों से पूसा उसके लिए सर्वथा उपयुक्त स्थान है।

यदि किसी कारण से पश्चिमी कोसी नहर नहीं बनाई जा रही है, तो सरकार को डगमारा बैराज बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। स्टेट ट्यूबवैल बना कर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार कई करोड़ रुपये दे कर रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन बना रही है। उत्तर बिहार के दक्षिण में इंडस्ट्रियल बल्ट है, डी० वी० सी० है मगर उत्तर बिहार की भूमि अच्छी है। अगर सरकार इस क्षेत्र के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं देगी, और गत सत्र में मैंने जो मेमोरन्डम सभा-पटल पर रखा था यदि वह उसके मुताबिक फिर से विचार करके कार्यवाही नहीं करेगी, तो फिर उस गरीब उत्तर-बिहार की क्या स्थिति होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

आवश्यकता इस बात की है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में बड़े ऊंचे पद क्रीएट न करके वहां स्टेट ट्यूबवैल्स और अन्य उपायों से इरिगेशन की व्यवस्था की जाये। अगर सरकार चाहती है कि यह सबसे बड़ा राज्य सब से गरीब न रहे तो उसको इस सम्बन्ध में उचित और प्रभावशील पग उठाने पड़ेंगे। मनीपुर की अनुपूरक मांगों की तरह बिहार जैसे बड़े राज्य की अनुपूरक मांगों पर विचार के लिए भी केवल एक घंटा देना उचित नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त हमारे देश में राजनैतिक अस्थिरता है, बिहार जिस का सब से ज्यादा शिकार है। पुरानी नौकरशाही इस स्थिति से लाभ उठाने के लिए किस तरह से कोशिश कर रही है, मैं आप के सामने उसके कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि बिहार एक खेतिहर-प्रधान राज्य है और खेती उस की मुख्य समस्या है। बिहार की समस्या यह है कि वहां सिंचाई कैसे की जाये, उद्योग-धंधे कैसे खोले जायें और जनता के दूसरे हिस्सों की समस्याओं को कैसे हल किया जाये। जब से कांग्रेस में डिविजन हुआ है, तब से ज़मीन के सम्बन्ध में रेडिकल रिफ़ार्म करने की बातें बड़े जोरों से हो रही हैं। जब से यह आवाज़ उठी है—हालांकि इस बारे में कोई अमली कदम नहीं उठाया गया है—, तब से बड़े बड़े भूस्वामियों ने ग़रीब किसानों और खेतिहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। बिहार ऐसा प्रदेश है, जहाँ ग़रीब किसानों और खेतिहर मज़दूरों को बटाई पर ज़मीन बहुत ज्यादा दी जाती है। जब से यह

एलान होने लगा है कि कांग्रेस की तरफ़ से ज़मीन सम्बन्धी रेडिकल रिफ़ार्म किये जाने वाले हैं, तब से बड़े बड़े भूस्वामी बटाई पर जो ज़मीन ग़रीब किसानों और खेतिहर मज़दूरों को देते थे, वे उस को बड़े पैमाने पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं ।

अख़बारों में समाचार आते हैं कि बिहार में चारों तरफ़ नक्सलाइट्स पैदा हो गये हैं । नक्सलाइट्स कैसे पैदा होते हैं ? क्या आप समझते हैं कि जब एक पक्ष की ओर से ज़ुल्म होगा, अधिकार छीने जायेंगे, लोगों को परेशान किया जायेगा, उन की बेइज्ज़ती की जायेगी, तो क्या लोग कभी उस के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे? यहां डेमोक्रेसी की बातें बहुत ज्यादा होती हैं । लेकिन कोई मुझे बताये कि जो जनतन्त्र जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक पूरा नहीं उतरता, जो जनता को फल नहीं देता है, क्या वह कभी बचता है । उस प्रकार के जनतंत्र ो जनता ख़त्म कर देती है ।

बिहार में आज भी चारों तरफ़ ज़मीन का कानसेन्ट्रेशन, केन्द्रीयकरण, कुछ लोगों के हाथों में बड़े पैमाने पर है । जब यह सरकार चाहती है कि पूंजी की इजारेदारी को तोड़ा जाये, तो क्या ज़मीन की इजारे-दारी को नहीं तोड़ा जायेगा? जो ज़मीन पर काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, घर बैठ कर दूसरों से काम करवाते हैं और उनको परेशान करते हैं, क्या उन लोगों से ज़मीन ले कर जोतने वालों और मेहनत करने वालों को दी जायेगी या नहीं, यह देश की मुख्य समस्या बन गई है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जो विभिन्न कमीशन बनाये गये हैं, उन की रिपोर्ट्स को देखने से पता चलता है कि इस समय देश में यदि कोई संकट है, तो वह खेतिहर संकट ही है और इसलिए देश को उस संकट से निकालना आवश्यक है । उस इलाके में चारों तरफ़ बड़े ज़ोरों से दमनचक्र चल रहा है । जब से वहां मंत्रि-मंडल ख़त्म हो गया है और जन-प्रतिनिधियों का शासन नहीं रहा है, तब से बड़े बड़े भूस्वामी सीधे अफ़सरों के साथ रिश्ता कायम कर के, उन के साथ मिल कर, उन को रिश्वत दे कर, किसानों को परेशान कर रहे हैं ।

एक दिन बालिया ज़िले के नज़दीक बार्डर पर ढाई तीन सौ लोगों द्वारा लट्ठ, बल्लम और बन्दूक आदि ले कर हरिजनों की बस्ती पर हमला किया गया, बहुत से आदमियों को मार दिया गया और उन की लाशों को गंगा नदी में बहा दिया गया । आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि आज वहां पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, लेकिन चूंकि वह अत्याचार कुछ बड़े लोगों की तरफ़ से हो रहा है और ग़रीबों पर हो रहा है, इस लिए उस की आवाज़ इस सदन में नहीं गूंजती है ? मालूम होता है कि यह सदन केवल बड़े लोगों का सदन है, ग़रीबों का सदन नहीं है ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह देश ग़रीब किसानों, खेतिहर मज़दूरों और ग़रीबों का देश है । बिहार में इस प्रकार के खेतिहर मज़दूरों और ग़रीबों का देश है । बिहार में इस प्रकार के अत्याचार हों और उन के बारे में कोई कदम न उठाया जाये और अपराधियों को कोई सज़ा न दी जाये, तो इस से हमारा जनतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा । अगर ये अत्याचार बढ़त गये, तो एक नहीं, हज़ारों नक्सलबाड़ियां पैदा हो जायेंगी और उस को रोकना किसी के बूते की बात नहीं रहेगी । मैं चाहूंगा कि वहां की स्थिति की जांच की जाये, वहां पर जो टैरर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस का अन्त किया जाये और शान्ति तथा व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जाये ।

श्री मुद्रिका सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिहार में राष्ट्रपति-शासन दो बार हुआ है और उस के बारे में हमारा बहुत ही कटु अनुभव रहा है। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत नई नई पोस्टस क्रीएट की जा रही हैं, कुछ लोगों की पदोन्नति की जा रही है और कुछ को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सारा समय इन बातों में ही ज़ाया किया जा रहा है और विकास का सारा काम ठप्प पड़ा हुआ है।

उस शासन में दूरदर्शिता का भी अभाव है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मारे दक्षिणी बिहार में एक ही पेरेनियल कैनाल है--सोन नहर। उसे रिहंद डम से पानी मिलता था, लेकिन अब रिहंद डैम पानी देने से इन्कार कर रहा है। अगर नार्थ कोयल स्कीम को कार्यान्वित न किया गया और कोयल के कुटकू स्थान पर डैम न बनाया जा सका, तो पुरानी नहरें भी सूख जायेंगी और नार्थ कोयल हाई लेवल कैनाल की योजना भी ठप्प पड़ जायेगी, जिस से कई लाख एकड़ की सिंचाई होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बिहार सरकार नालायक है और वह इस काम को हाथ में नहीं लेती है, तो केन्द्रीय सरकार इस काम को करे, नहीं तो वर्तमान सोन नहर सूख जायेगी और सारा इलाका मरुभूमि बन जायेगा।

बिहार सब से निर्धन राज्य है, लेकिन वहां बिजली के चार्जिज़ हाइएस्ट हैं : बिजली का रेट 18 पैसे प्रति यूनिट है, सर्विसिंग चार्ज तीन रुपये प्रति फुट है और मिनिमम चार्ज 120 रुपये प्रति हार्सपावर है। फिर भी एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहा है। वहां आफिसरों का राज्य है, लूट है, घूसखोरी का बोलबाला है। समयभाव के कारण मैं सारी चीजें नहीं रखना चाहता नहीं तो मैं इस सदन में साबित कर देता कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ट कितना बड़ा हम्बग है।

हमारे अधिकारियों की शनिश्चर दृष्टि किसान पर लगी है। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा है कि किसान के घर में सोने की गुल्ली उत्पन्न हो रही है। यह हाई ईल्डिंग वेराइटी और ग्रीन रेवोल्यूशन के नारे लगा कर लोग जोंक की तरह किसानों को चूसना चाहते हैं। एक तरफ मैंने अभी बताया बिजली के हाइएस्ट चार्ज, दूसरी ओर नहर का रेट 11 से 16 हुआ अब 19 हो रहा है, तीसरी ओर तीन एकड़ पर अभी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगा रहे हैं कि प्रति एकड़ एक हजार रुपये की किसान को बचत हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन से। उन्हें यह भी मालम नहीं कि वहां सिंचाई के लिए बारहमसिया नहर नहीं, यह भी मालूम नहीं कि महीने में 25 दिन बिजली बन्द रहती है, बिजली के भरोसे भी जो पम्प से कुछ पैदा करना चाहते हैं धान या गेहूं वह भी नहीं कर पाते हैं, बीज लगता है और इतना कीमती मैन्योर लगता है, लेकिन पानी के अभाव में जल कर खाक हो जाता है। इस स्थिति में तीन एकड़ पर ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स यह मान कर कि प्रति एकड़ एक हजार रुपये की बचत होगी, यह कोई पगला ही सोच सकता है कि खेती में इतनी बचत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एक तो डढ़ दो रुपये में वह बीज लेते हैं सरकार से, उस के बाद, एक्साइज़ ड्यूटी लगा कर मैन्योर का दाम बढ़ा दिया है, एक एकड़ में एक फसल में पांच सौ रुपये मैन्योर में लगता है तो खर्च बढ़ गया है और खर्च के हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन के बावजूद भी पैदा नहीं हो रहा है। समय होता तो मैं एक एक आइटम का हिसाब जोड़ कर बता देता कि आप इनकम कैसे जोड़ते हैं फैक्ट्रियों में और जमीन में जो हमारी पूंजी है, ट्रैक्टर और बैल में जो हमारा पैसा लगता है, चार पांच वर्ष में बैल मर जाता है, उस का वीयर ऐंड टीयर का हिसाब और सिंचाई के चार्ज, बिजली के चार्ज, मैन्योर वगैरह इन तमाम चीजों के चाजज़ लगा कर मैं इन को जोड़ कर साबित कर के दिखा देता कि किसानों को कोई फायदा नहीं होता है और यह तीन एकड़ पर जो इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं यह पागलपन की बात है। इसे रोकना चाहिए। जब तक क्राप इन्श्योरेंस नहीं हो जाय कि फेल्योर हो तो सरकार उस को इन्श्योर कर के घाटा दे तब तक किसी भी तरह किसान पर कोई

भी कर लगाना बहुत साइंटिफिक नहीं होगा, न्यायोचित नहीं होगा ।

श्री केदार पस्वान (रोसेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की मांगों का विरोध करता हूं इस के लिए बहुत जबर्दस्त कारण है । कारण क्या है कि वहां बिहार में राष्ट्रपति शासन होने के बाद भी और पहले 22 वर्षों में कांग्रेस के सत्तारूढ़ रहने के कारण वहां बहुत खराबियां बढ़ गई हैं क्योंकि एक माइल में एक या दो लाख रुपया कोसी बांध पर खर्च हुआ और कोसी बांध में स्यार के भूंड करने से बांध टूट गया। के० एल० राव साहब ने बताया था कि स्यार के भूड़ करने से बांध टूट गया और बहुत से गांव डूब गए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस में 2 लाख रुपया एक माइल में खर्च हो और वह बांध स्यार के भूड़ मे टूट जाय तो उस में शेर के घुसने से क्या होगा इस देश की हालत जो इतनी भ्रष्ट है इस का कारण क्या है ? इसका कारण यही है रुपया ! रुपये पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए कि फाजिल रुपया नहीं लगना चाहिए । होता क्या है कि आई ए एस आफिसर जितने हैं वह अपने अपने आदमियों को बांध वगैरह बनाने की कान्टैक्टरी देते हैं और अपने आदमी को पास कर देते हैं। इसीलिए इतना भ्रष्टाचार सब हो रहा है। वह कलेक्टर और जितने बड़े बड़े आदमी हैं, मिनिस्टरों को क्यों कहें, वह बेचारे तो सही में नहीं जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है, वह बड़े बड़े आई ए एस आफिसर धांधली से अपने आदमियों को कांट्रैक्टरी दे देते हैं और वही इतना दीवाला मारते हैं। शेरशाह ने पांच वर्ष की अमलदारी में पंजाब से आसाम तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया हुआ था लेकिन एक बहेड़ी क्षेत्र ऐसा है जहां आज दरभंगा से ले कर कुशेश्वर तक करीब 30-40 माइल होगा, उस में 11 वर्ष लग गए । अभी तक पी डब्लू डी, तैयार नहीं कर पाया। उस का कारण यही है कि अफसर अपने आदमियों को कांट्रैक्टरी देते हैं और उस में माल फंसाते हैं । 65 प्रतिशत रुपया बांध में और सड़क में लगता है और 35 प्रतिशत रुपया मिल कर सब अफसर भोजन कर लेते हैं वह छोटे बड़े अफसर हों चाहे कांट्रैक्टर हों या और कोई हों। इस बात का हमें बड़ा दुख है । इस के लिए ऐसा करना चाहिए कि जितने आदमी ऐसे भ्रष्ट हैं उन को चौराहे पर चढ़ा देना चाहिए । इस की जांच करनी चाहिए ।

विद्यार्थी के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । लड़के जो इम्तहान देते हैं, हम समझते हैं बिहार में यह मामला इतना भ्रष्ट हो गया है कि उन की कापियां विदेश भेजनी चाहिएं क्योंकि बड़े बड़े अफसर अपने लड़कों को, अपने भतीजों को, अपने कुटुम्ब वालों को पास कराते हैं और दूसरे जो पास होने लायक हैं उन को फेल कर देते हैं । जिस राज्य में जो विद्या पास करने लायक हैं उन को फेल कर दें और जो फेल करने लायक हैं उन को पास कर दें, वह राज्य कहां तक जा सकता है ? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह देश बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। इस के लिए कुछ सोचना चाहिये । और बहुत से देशों में हम देख रहे हैं एक और दस का फर्क आमदनी में है । इस देश में डा० लोहिया ने कहा था कि 100 से कम नहीं और 1 हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिये लेकिन हालत यह है कि एक चौकीदार की तनख्वाह तो 17 रुपये है और आई जी की साढ़े बाइस सौ रुपये है । यह देश किस तरह आगे बढ़ सकता है ? बेकारी क्यों नहीं बढ़ेगी ? बेकारी बढ़ेगी । दिन प्रति दिन, जो थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है, आज हमारे सत्यानारायण बाबू ने कहा कि वह तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं जो ऐसा कराते हैं । जहां पेट का दुख होगा, जहां रोजी का दुख होगा, वहां बेइज्जती होगी, मार्क्सवादी तो क्या हम कौन चीज नहीं बना सकते हैं ? इस देश में ? इस के लिये मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी सुधार किया जाय, नहीं तो इस देश के लिये बहुत खतरा है और इस देश में हम लोग चाहते हैं कि इस देश में हम सब बहुत करवा देंगे, और सब चीज करने के लिये तैयार हैं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MNISTRY OF FINANCE

(SHRI P. C. SETHI): As far as the Supplementary Demands for grants in respect of Bihar are concerned, the main items of expenditure on revenue account are Rs. 138 lakhs on account of drought and flood relief operations, Rs. 118 lakhs for grants to Universities for meeting increase in expenditure on account of improved pay scales to the staff of Universities and to teaching and non-teaching staff of the constituent colleges, Rs. 50 lakhs for providing mid-day meals to the students of primary and middle schools, Rs. 43 lakhs on account of payment of arrear bills, etc., etc.. Out of the total amount of Rs. 718 lakhs, about Rs. 371 lakhs would be recoverable by receipts, recoveries etc. and, therefore, the total excess demands are still less.

Apart from that, I would also like to point out that, as far as the Fourth Plan outlay is concerned, Bihar has benefited the most in terms of the Fifth Finance Commission's recommendations. In the Fourth Plan outlay for Bihar, the State Government's own resources are Rs. 103.61 crores while the Central assistance will be to the tune of Rs. 338.00 crores, thus, the total will be Rs. 441.61 crores. The Central assistance thus for Bihar would be 76.5 per cent of the total Plan outlay of the State. This proportion, as compared to the Plan assistance which has increased from 47.5 per cent to 65 per cent and then 69.5 per cent and now reaching the figure of 76.5 per cent, is considerably on the very good side. I would also like to mention that this has happened on account of the formula which has been adopted for the backward areas and backward States by the National Development Council. Bihar has benefited by this.

I would not like to go into the details at this moment. I really share the concern and anxiety of the hon. members, Shri Madhukar, Shri Ramsekhar Prasad Singh, Shri Beni Shankar Sharma, Shri Mandal, Shri Satya Narain Singh, Shri Mudrika Sinha and Shri Kedar Paswan, that as far as Bihar's poverty and backwardness is concerned, special effort has to be made, and I am quite sure that on account of this Plan outlay this could be done: as far as Central assistance is concerned, we are moving in that direction.

Anxiety has also been shown that the President's rule is there and, therefore, the democratic forum which should have been given to the people of Bihar, is being denied. I would only like to say that it is upto the local legislators to decide and find out a solution to this problem and I am quite sure that the hon. Members who have shown their concern here in this respect will move in that direction.

As far as the other complaints which have been cited here by the hon. Members with regard to specific charges of corruption or with regard to the trouble which the people might be facing on account of any lack of appreciation or dereliction of duty on the part of Government officials is concerned, if any specific complaints are brought to the notice of the Government, we will certainly look into them. At this moment, as far as these demands are concerned, they are very limited and I hope that the House will pass them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I will put all the cut motions in respect of the Supplementary Demands for Grants for Bihar to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the question is:

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column

of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Bihar to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970 in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demand Nos. 2 to 4, 6, 9 to 13, 15 to 22, 25, 28, 30 to 32, 35 to 40, 42, 43 and 46."

The motion was adopted.

18.52 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 22, 1969/*Pausa* 1, 1891 (*Saka*).

L/P(N)5LSS—1,010—6-3-1970—GIPS.